



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62603

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -  
**2914/2026**

पूजा .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: आशुतोष कृष्णा, सौरभ कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 284/2025, धारा 108 बी.एन.एस., 2023, थाना- कोतवाली, जिला बदायूँ के अंतर्गत, विचारण के समापन तक उसे अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। वह निम्नलिखित आधारों पर अग्रिम जमानत चाहते हैं :-
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे उपरोक्त मामले में गिरफ्तारी की आशंका है, जबकि उसके विरुद्ध कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आवेदक पर लगाए गए आरोप झूठे हैं और मामले में विवेचना जारी है। यह भी तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी (FIR) में दर्शाई गई अभियोजन की कहानी विश्वसनीय और स्वाभाविक नहीं है। प्राथमिकी की विषयवस्तु में उल्लेख है कि मृतक की पत्नी दुर्गा दिल्ली में रह रही थी, जबकि अभियुक्तों की सूची वाले कॉलम में यह दिखाया गया है कि दुर्गा बदायूँ में रह रही थी, जहाँ मृतक स्वयं बदायूँ में था। आगे यह तर्क दिया गया कि मृतक द्वारा कथित रूप से तैयार की गई ऑडियो क्लिप की सामग्री से भी वर्तमान अभियुक्त की ओर से आत्महत्या के लिए किसी भी प्रकार के उकसावे या दुष्प्रेरण की भूमिका सामने नहीं आती है। यह भी तर्क दिया गया कि बी.एन.एस. की धारा 108 के तहत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक तत्व इस मामले में पूरी तरह से गायब हैं। इसके अलावा, ऑडियो क्लिप में मृतक द्वारा अपने ही परिवार के सदस्यों और विशेष रूप से अपनी माँ के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, जो इस मामले की सूचनाकर्ता है। अभियोजन इस स्तर पर यह दिखाने में विफल रहा है कि वर्तमान अभियुक्त-आवेदक द्वारा मृतक को ऐसा कोई उकसावा या दुष्प्रेरण दिया गया था कि उसके पास आत्महत्या करने के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। आवेदक मृतक की भाभी (sister-in-law) है और उसका मृतक या उसकी पत्नी दुर्गा के पारिवारिक मामलों से कोई लेना-देना नहीं है। समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त ललिता, जो मृतक की भाभी है, को इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 28.01.2026 के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदक एक महिला है जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि उसे अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करने और जमानत की सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार है।

5. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की प्रार्थना का विरोध किया। उन्होंने ऑडियो क्लिप की सामग्री पर जोर दिया जिसे अभियोजन पक्ष ने सुसाइड नोट के रूप में माना है और उसके आधार पर यह जोरदार तर्क दिया कि मृतक द्वारा की गई आत्महत्या वर्तमान अभियुक्त-आवेदक सहित सभी नामित अभियुक्तों के उकसावे और दुष्प्रेरण का परिणाम थी।
6. गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2017) 1 एससीसी 433 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि धारा 306 आई.पी.सी. के मूल तत्व आत्महत्या और उसका दुष्प्रेरण हैं। दुष्प्रेरण गठित करने के लिए, आत्महत्या करने में सहायता करने या उकसाने के लिए अभियुक्त का इरादा और संलिप्तता अनिवार्य है। इनमें से किसी भी घटक की अनुपस्थिति आरोपी के विरुद्ध उक्त अभियोग को कमजोर करेगी। अभियुक्त के इरादे से उपजे दोषपूर्ण कृत्यों या चूक की आत्महत्या से दूरी, दुष्प्रेरण के उस अपराध से कम होगी जो धारा 306 आई.पी.सी. को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। दंडनीय कृत्यों की निरंतरता, दोषिता और संलिप्तता दुष्प्रेरण के सहवर्ती सूचकांक हैं। इस प्रकार धारा 306 आई.पी.सी. आत्महत्या के लिए निरंतर प्रोत्साहन को अपराधी मानती है।
7. एम. अर्जुनन बनाम राज्य, (2019) 3 एससीसी 315 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि गाली-गलौज वाली भाषा का उपयोग करके मृतक का अपमान करना, अपने आप में आत्महत्या का दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। ऐसा साक्ष्य होना चाहिए जो यह सुझाव दे सके कि अभियुक्त ने ऐसे कृत्य (कृत्यों) द्वारा मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का इरादा रखा था। जब तक आत्महत्या के लिए उकसाने/दुष्प्रेरण के तत्व संतुष्ट नहीं होते, अभियुक्त को धारा 306 आई.पी.सी. के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
8. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) और अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना के क्रम को प्रभावित करने की संभावना, या गवाहों को डराने सहित साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़, न्याय से भागने की संभावना जैसे देश छोड़ने आदि पर विचार करना चाहिए। यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देते या मना करते समय न्यायालयों को आम तौर पर अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक को सौंपी गई भूमिका और मामले के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। जमानत देना या न देना विवेक का विषय है।
9. सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2022) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 676 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक जनादेश का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने का अवसर तब आता है जब हिरासत में पूछताछ आवश्यक हो जाए या यह एक जघन्य अपराध हो या जहाँ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गवाहों को प्रभावित करने की संभावना हो या अभियुक्त फरार हो सकता हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि यह कानूनी है, यह अनिवार्य नहीं करता कि गिरफ्तारी की ही जानी चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति के अस्तित्व और इसके प्रयोग के औचित्य के बीच अंतर किया जाना चाहिए। यदि गिरफ्तारी को नियमित बना दिया जाए, तो यह किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अपूरणीय क्षति पहुँचा सकता है। यदि विवेचना अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त फरार हो जाएगा या समन की अवज्ञा करेगा और वास्तव में उसने पूरी विवेचना में सहयोग किया है, तो अधिकारी पर अभियुक्त को गिरफ्तार करने की कोई मजबूरी नहीं है।

10. उपरोक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों और इस बिंदु पर कानून को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया बी.एन.एस. की धारा 45 के तहत परिभाषित दुष्प्रेरण का अपराध आवेदक के विरुद्ध नहीं बनता है। समान रूप से स्थित सह-अभियुक्त ललिता को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत दी जा चुकी है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इसलिए, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित समझता हूँ।
11. आवेदक का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
12. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- पूजा की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-
  - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;
  - ii. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी जिससे कि वह उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;
  - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;
  - iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/डराएगी नहीं;
13. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
14. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के निपटारे के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

25 मार्च, 2026

कुशल

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"